रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 80] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 1987/माघ 28, 1908

No. 80] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 1987/MAGHA 28, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1987

अधिसूचना

सा. का. नि. 97(अ).—राष्ट्रपति द्वारा तारीख 13 फरवरी 1987 को किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) आदेश, 1987

मैं, जैल सिंह, भारत का राष्ट्रपति, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 69) की धारा 32 के अनुसरण में, निम्नलिखित आदेश करता हूं, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) आदेश, 1987 है।

(2) यह 20 फरवरी, 1987 को प्रवृत्त होगा।

2. इस आदेश के निर्वचन के लिए साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) वैसे ही लागू होगा जैसे वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. इस आदेश में—

(क) 'कार्यकारी राज्यपाल' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया है,

(ख) "राज्यपाल" से अरुणाचल प्रदेश राज्य का राज्यपाल अभिप्रेत है,

(ग) राजकीय निवास के संबंध में "अनुरक्षण" के अन्तर्गत स्थानीय रेट और करों तथा बिजली, गैस और जल की व्यवस्था और मोटर-कारों के संबंध में शोफरों के वेतन और भत्ते तथा तेल और पेट्रोल की व्यवस्था आते हैं,

(घ) राज्यपाल के संबंध में "राजकीय रेल सैलून, नदी-यान और वायुयान" से ऐसे रेल सैलून, नदी-यान और वायुयान यदि कोई हों, अभिप्रेत हैं, जिनकी व्यवस्था उसके उपयोग के लिए की जाए",

(ङ) राज्यपाल के संबंध में 'राजकीय निवास" से ऐसा राजकीय निवास अभिप्रेत है, जो इस आदेश की पहली अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट है और इसके अंतर्गत ऐसे निवास भी आते हैं जिन्हें राज्यपाल के राजकीय निवास के रूप में प्रयुक्त किया जाये तथा इसके अन्तर्गत स्टाफ क्वार्टर और उनसे संलग्न अन्य भवन और उनके उद्यान भी आते हैं,

(च) 'राज्य' से अरुणाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है।

4. (1) राज्यपाल को, जिसमें कार्यकारी राज्यपाल भी आता है, उसकी नियुक्ति के संबंध में यथास्थिति, उसे राज्यपाल या कार्यकारी राज्यपाल के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपने कुटुम्ब, यदि कोई हो, और सामान सहित यात्रा में हुए वास्तविक व्ययों के बराबर भत्ते और राज्यपाल या कार्यकारी राज्यपाल का पद छोड़ने पर उस स्थान तक जहां

सामान्यतः नियुक्ति के समय वह निवास करता था, वापस जाने के लिए समरूप भत्ता संदत्त किया जाएगा।

(2) राज्यपाल को, किन्तु कार्यकारी राज्यपाल को नहीं, उसकी नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित भी संदत्त किए जाएंगे—

(i) 1,600 रुपए का उपस्कर भत्ता;

(ii) राज्यपाल के उपयोग के लिए यथोचित मोटर-कारों के क्रय में खर्च होने वाली राशि को राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर नियत किया जाएगा और वह ऐसी शर्तों के अधीन संदेय होगी, जो उसके द्वारा अवधारित की जाए, और

(iii) उन मोटर-कारों का परिवहन राज्य में करने के लिए भाड़े और बीमे में राज्यपाल द्वारा किए गए वास्तविक व्यय।

5. राज्यपाल अपने पूरे कार्यकाल के दौरान, किराया या भाड़ा संदत्त किए बिना राजकीय निवास, राजकीय रेल-सैलून तथा नदी-यान और वायु-यान और मोटर-कारों का उपयोग करने का हकदार होगा जिनकी व्यवस्था उसके उपयोग के लिए की गई है और उनके अनुरक्षण के संबंध में वैयक्तिक रूप से उन पर कोई प्रभार नहीं पड़ेगा।

6. (1) राज्यपाल को, उसके राजकीय निवास के साज-सामान के नवीकरण में किए गए वास्तविक व्यय की बाबत समय-समय पर ऐसा भत्ता संदत्त किया जाएगा जो कुल संदत्त रकम इस आदेश की पहली अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट अधिकतम रकम से तब तक अधिक नहीं होगी जब तक कि राष्ट्रपति के विशेष आदेश द्वारा उसे बढ़ाया न जाये :

परन्तु यदि, जब राज्यपाल (कार्यकारी राज्यपालों को इसमें नहीं रखा जाएगा) पद ग्रहण करता है, वह अवधि जो उसके पूर्ववर्ती द्वारा पद ग्रहण किए जाने के बाद से बीत गई है, पांच वर्ष से कम है, तो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अधिकतम रकम में से उतनी रकम कम कर दी जाएगी जितनी राष्ट्रपति विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे।

(2) उप पैरा (1) कार्यकारी राज्यपाल को लागू नहीं होगा।

7. इस दृष्टि से कि राज्यपाल को अपने पद के कर्तव्यों का सुविधापूर्वक और गरिमा के साथ निर्वहन करने के लिए समर्थ बनाया जा सके, अरुणाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि पर प्रतिवर्ष—

(क) इस आदेश की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से प्रत्येक के लिए उस अनुसूची के समुचित स्तंभ में विनिर्दिष्ट अधिकतम रकम से अनधिक उतनी रकम जो राज्यपाल द्वारा अपेक्षित हो;

(ख) राज्यपाल के राजकीय निवास के अनुरक्षण, सुधार नवीकरण या प्रतिस्थापन के लिए, इस आदेश की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकतम रकम से अनधिक उतनी रकम जो राज्यपाल द्वारा अपेक्षित हो, और

(ग) राजकीय रेल-सैलूनों पर व्यय के लिए उतनी रकम जो राष्ट्रपति के विशेष आदेश द्वारा अवधारित की जाए;

भारित की जाएगी और उसमें से संदत्त की जाएगी :

परन्तु यह :—

(1) कि राज्यपाल, जब कभी आवश्यक हो, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट एक उप-शीर्ष से किसी अन्य उप-शीर्ष में राष्ट्रपति के अनुमोदन से पुनर्विनियोग कर सकेगा, किन्तु इस प्रकार कि वह उसके स्तंभ (7) में विनिर्दिष्ट अधिकतम रकम से अधिक न हो,

(2) कि दूसरी अनुसूची के स्तंभ (7) में विनिर्दिष्ट अधिकतम रकम में किसी वर्ष में उतनी रकम की, जो पूर्व वर्षों में व्यय न की गई हो और उतनी रकम की भी, जो राज्यपाल, परिसहायक के छुट्टी भत्तों और पेंशन प्रभारों को चुकाने के लिए आवश्यक समझे, वृद्धि की जा सकेगी।

(3) कि यदि इस आदेश के प्रारंभ पर अनुदेय महंगाई या अन्य भत्ता किसी समय वेतन में विलीन किया जाए या बढ़ाया या घटाया जाए, तो दूसरी अनुसूची के समुचित उप-शीर्षों में से किसी के सामने विनिर्दिष्ट अधिकतम रकम तदनुसार बढ़ा दी गई या घटा दी गई समझी जाएगी,

(4) कि राज्यपाल तीसरी अनुसूची के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट अधिकतम का अतिक्रमण किए बिना, जब कभी आवश्यक हो, उक्त अनुसूची के एक उप-शीर्ष से उसके किसी अन्य उप-शीर्ष में पुनर्विनियोग कर सकेगा।

(5) कि राष्ट्रपति, विशेष आदेश द्वारा दूसरी और तीसरी अनुसूचियों में वर्णित रकमों को बढ़ा या घटा सकेगा।

(6) कि इस पैरा के खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए 20 फरवरी, 1987 से 31 मार्च, 1987 तक की अवधि के लिए उपलब्ध अधिकतम रकम दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची में दी गई रकम का छठा भाग होगी।

8. पैरा 7 में निर्दिष्ट भत्तों और विशेषाधिकारों के अतिरिक्त नए राजकीय निवास को सुसज्जित करने के लिए 1,00,000 रु. का आरंभिक अनुदान; अरुणाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित किया जाएगा और उसमें से राज्यपाल को संदत्त किया जाएगा।

9. (1) राज्यपाल अपनी छुट्टी की अवधि के दौरान, अपने वेतन के अलावे 2,750 रु. प्रतिमास की दर से केवल छुट्टी भत्ते के लिए हकदार होगा।

(2) कार्यकारी राज्यपाल किसी छुट्टी भत्ते के लिए हकदार नहीं होगा।

10. निम्नलिखित वस्तुओं पर कोई सीमाशुल्क उद्ग्रहीत नहीं किए जाएंगे यदि वे राज्यपाल द्वारा नियुक्ति पर या अपना पदावधि के दौरान आयातित या बंधपत्र से परे क्रय की जाती हैं :—

(क) राज्यपाल या उनके कुटुम्ब के किसी सदस्य के निजी उपयोग, निवास या उपभोग के लिए वस्तुएं;

(ख) राज्यपाल की गृहस्थी के सदस्यों द्वारा या उनके अतिथियों द्वारा, चाहे वे शासकीय हों, अथवा नहीं, उपभोग के लिए खाद्य, पेय और तम्बाकू,

(ग) राज्यपाल के राजकीय निवासों में से किसी को सुसज्जित करने के लिए वस्तुएं;

(घ) राज्यपाल के उपयोग के लिए व्यवस्था की गई मोटर कारें।

पहली अनुसूची

पैरा 3 (क) और (6)(1) देखिए

राजकीय निवास	साज-सामान के नवीकरण के लिए राज्यपाल को अधिकतम भत्ता
(1)	(2)
राजभवन इटानगर	2,00,000

दूसरी अनुसूची

(पैरा 7 देखिए)

कतिपय विषयों के बारे में राज्य की संचित निधि पर भारित अधिकतम वार्षिक राशियां (रुपयों में) ।

	कर्मचारिवृन्द और गृहस्थी	
अनिष्य भत्ता	गृह नियंत्रक/परिसहायक और उसका स्थापन	सत्कार भत्ता
(1)	(2)	(3)
रु.	रु.	रु.
50,000	1,20,000	5,000

राजकीय निवासों के साज-सामान का अनुरक्षण और मरम्मत	संविदा भत्ता, अर्थात् मोटरकारों के अनुरक्षण सहित प्रकीर्ण व्यय के लिए भत्ता	दौरा व्यय	योग
(4)	(5)	(6)	(7)
रु.	रु.	रु.	रु.
36,000	2,00,000	5,00,000	9,11,000

तीसरी अनुसूची

[पैरा 7 (ख) देखिए]

राज्यपाल के राजकीय निवास के अनुरक्षण और मरम्मत के बारे में अधिकतम वार्षिक राशियां (रुपयों में) ।

सुधार	उद्यान	विद्युत
(1)	(2)	(3)
रु.	रु.	रु.
30,000	1,20,000	2,00,000

जल	मरम्मत	योग
(4)	(5)	(6)
रु.	रु.	रु.
15,000	2,00,000	5,65,000

जैल सिंह,
राष्ट्रपति

[सं. 7/5/87-एम. एंड जी.]
ए. के. यसाक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 17th February, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 97(E).—The following Order made by the President on 13th February, 1987 is published for general information.

THE GOVERNOR OF ARUNACHAL PRADESH (ALLOWANCES AND PRIVILEGES) ORDER, 1987

In pursuance of section 32 of the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 (69 of 1986), I, Zail Singh, President of India, hereby make the following Order, namely :—

1. (1) This Order may be called the Governor of Arunachal Pradesh (Allowances and Privileges) Order, 1987.

(2) It shall come into force on the 20th February, 1987.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), applies for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. In this Order,—

(a) "acting Governor" means a person appointed by the President to discharge the functions of the Governor;

(b) "Governor" means the Governor of the State of Arunachal Pradesh;

(c) "maintenance" in relation to official residence includes the payment of local rates and taxes and the provision of electricity, gas and water and in relation to motor cars, includes the pay and allowances of chauffeurs and the provision of oil and petrol;

(d) "official railway saloons, river craft and air-craft" in relation to the Governor mean such railway saloons, river craft and air craft, if any, as may be provided for his use;

(e) "official residence" in relation to the Governor means the official residence specified in column (1) of the First Schedule to this Order and includes such other residence or residences as may be used as the official residence of the Governor and also includes the staff quarters and other buildings appurtenant thereto and the gardens thereof;

(f) "State" means the State of Arunachal Pradesh.

4. (1) There shall be paid to the Governor, including an acting Governor, in connection with his appointment, an allowance equal to his actual expenses in travelling with his family, if any, and his family's effects, to take up his duties as Governor or acting Governor, as the case may be, and a similar allowance on his vacating the office of Governor, or acting Governor, to return to the place where he ordinarily resided at the time of his appointment.

(2) There shall also be paid to the Governor but not acting Governor, in connection with his appointment :—

(i) an equipment allowance of Rs. 1,600;

(ii) a sum to be fixed from time to time by the President and to be payable subject to such conditions as may be determined by him, to be spent on the purchase of suitable motor cars for the use of the Governor; and

(iii) Governor's actual expenses on the freight and insurance in transporting those motor cars to the State.

5. The Governor, throughout his term of office, shall be entitled without payment of rent or hire, to the use of his official residence and official railway saloons and river craft and air-craft and of the motor cars provided for his use, and no charge shall fall on him personally in respect of the maintenance thereof.

6. (1) There shall be paid from time to time to the Governor an allowance equal to his actual expenses in renewing the furnishings of his official residence, so, however, that the total amount paid shall not exceed the maximum specified in column (2) of the First Schedule to this Order, unless it is enhanced by a special Order of the President :

Provided that if, when the Governor assumes office, the period which has elapsed since his predecessor assumed office (acting Governors being disregarded) falls short of five years, the maximum so specified shall be decreased by such amount as the President may by Special Order determine.

(2) Sub-paragraph (1) does not apply to an acting Governor.

7. In order that the Governor may be enabled to discharge conveniently and with dignity the duties of his office, there shall in each year, be charged on and paid out

of, the Consolidated Fund of the State of Arunachal Pradesh,—

(a) for each of the purposes specified in the Second Schedule to this Order such amount, not exceeding the maximum amount specified in the appropriate column of that Schedule, as may be required by the Governor;

(b) for the maintenance, improvement, renewal or replacement of the Governor's Official residence such amount, not exceeding the maximum amount specified in the Third Schedule to this Order, as may be required by the Governor; and

(c) such amount for expenditure on official railway saloons as may be determined by a special order of the President;

Provided as follows :—

(1) that the Governor may, with the approval of the President, reappropriate, whenever necessary, from one sub-head to another sub-head specified in the Second Schedule, but so as not to exceed the maximum amount specified in column (7) thereof;

(2) that the maximum amount specified in column (7) of the Second Schedule may in any year be increased by the amount not expended in previous years and also by such amount as the Governor may consider necessary to defray the leave-allowances and pension charges of the Aide-de-Camp;

(3) that if dearness or other allowance admissible at the commencement of this Order be merged in the pay or increased or reduced at any time, the maximum amount specified against any of the appropriate sub-heads of the Second Schedule shall be deemed to have been increased or reduced accordingly;

(4) that the Governor may without exceeding the maximum specified in column (6) of the Third Schedule reappropriate, whenever necessary, from one sub-head of the said Schedule to another sub-head thereof;

(5) the President may, by special order, increase or decrease the amounts mentioned in the Second and Third Schedules.

(6) that the maximum amount available for the period from 20th February, 1987 to 31st March, 1987, for any of the purposes referred to in clauses (a) and (b) of this paragraph shall be one-sixth of the amount set out in the Second Schedule and the Third Schedule.

8. In addition to the allowances and privileges referred to in paragraph 7, there shall be charged on, and paid out of the Consolidated Fund of the State of Arunachal Pradesh to the Governor an initial grant of Rs. 1,00,000 for furnishing the new official residence.

9. (1) The Governor shall, during the period of his leave be entitled only to a leave allowance at the rate of Rs. 2,750 per mensem in lieu of his salary.

(2) An acting Governor shall not be entitled to any leave allowance.

10. No customs duties shall be levied on the following articles if imported or purchased out of bond by the Governor on appointment or during his tenure of office—

(a) articles for the personal use, wear or consumption of the Governor or any member of his family;

(b) food, drink, and tobacco for consumption by members of the Governor's household or by his guests, whether official or not;

(c) articles for the furnishing of the Governor's official residences;

(d) motor cars provided for the Governor's use.

THE FIRST SCHEDULE

[See paragraphs 3(e) and 6(1)]

Official residence		Maximum allowance to the Governor for renewal of furnishings
1		2
Government House at Itanagar	Rs.	2,00,000

THE SECOND SCHEDULE

[See Paragraph 7]

Maximum yearly amounts (in rupees) charged on the Consolidated Fund of the State in respect of certain matters

Sumptuary allowance	Staff and Household		Maintenance and repairs of furnishings of official residences	Contract allowance i.e. an allowance for miscellaneous expenditure including maintenance of motor cars	Tour Expenses	Total
	Comptroller of the Household/ ADC and his Establishment	Entertainment allowance				
1	2	3	4	5	6	7
50,000	1,20,000	5,000	36,000	2,00,000	5,00,000	9,11,000

THE THIRD SCHEDULE

[See Paragraph 7(b)]

Maximum yearly amount (in rupees) in respect of official residence of Governor— Maintenance and repairs

Improvement	Gardens	Electricity	Water	Repairs	Total
1	2	3	4	5	6
30,000	1,20,000	2,00,000	15,000	2,00,000	5,65,000

ZAIL SINGH
President of India

[No. 7/5/87-M&G]
A. K. BASAK, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987